

09.05.18

अधिवक्ता अपी. व राजकीय अधिवक्ता उपो।  
मूल प्रकरण का निर्णय हो चुका है। इसलिए  
प्र.पत्र स्थगन विचाराधीन रखे जाने का कोई  
शौचिल्य नहीं है। अतः प्र.पत्र स्थगन खारिज  
किया जाता है। मूल प्रकरण में संलग्न रहे। मुखे  
न्यायालय सुनाया गया।

जिला कलेक्टर  
बीदा



*[Faint, illegible text and markings, possibly bleed-through from the reverse side of the page.]*